NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2017

No. 43/2017-Union territory Tax (Rate)

G.S.R.1399 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.4/2017- Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 713 (E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the TABLE, -

(i) after Sl. No. 4 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"4A.	5201	Raw cotton	Agriculturist	Any registered person".

2. This notification shall come into force with effect from the 15th day of November, 2017.

[F. No. 354/320/2017- TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note: - The principal notification No.4/2017- Union territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 713(E), dated the 28th June, 2017and last amended by Notification No. 36/2017-Central Tax(Rate Union territory Tax (Rate) dated 13th October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1295 (E), dated the 13th October, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2017

सं. 44/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर(दर)

सा.का.नि.1400 (अ).— संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 54 की उपधारा (3) के परंतुक के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 5/2017, संघ राज्यक्षेत्र (दर), दिनांक 28 जून 2017 , जिसे सा.का.नि. 714 (अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग- II , खण्ड 3, उपखण्ड (i) मे प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 6A और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"6 क	5608	डोरी, रज्जु या रस्सा के ग्रंथित जाल, जो टैक्सटाइल सामग्री के विनिर्मित मत्स्यन जाल और अन्य विनिर्मित जाल हैं
6 ख	5801	कॉरडरॉय फेब्रिक
6 ग	5806	संकीर्ण व्यूतित फेब्रिक,शीर्ष सं .5807 के माल से भिन्न ; संकीर्ण फेब्रिक, जिसमें आसंजक के माध्यम से समंजित बाना के बिना ताना है (क्सबोल्ड)"।

2. यह अधिसूचना 15, नवंबर 2017 से प्रवृत होगी ।

[फा. सं.354/320/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना सं. 5/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर(दर), तारीख 28 जून, 2017, सा.का.नि. 714(अ), तारीख 28 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग -II, खंड -3, उपखंड (I) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 29/2017 संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) दिनांक 22 सितम्बर, 2017, जिसे सा.का.नि 1197 (अ) दिनांक 22 सितम्बर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2017

No. 44/2017-Union territory Tax (Rate)

G.S.R.1400 (E).— In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the proviso to sub-section (3) of section 54 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.5/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 714(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the TABLE, for Sl. No. 6A and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely: -

"6A	5608	Knotted netting of twine, cordage or rope; made up fishing nets and other made up nets, of textile materials
6B	5801	Corduroy fabrics
6C	5806	Narrow woven fabrics, other than goods of heading 5807; narrow fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive (bolducs)".

2. This notification shall come into force with effect from the 15th day of November, 2017.

[F.No.354/320/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

Note: - The principal notification No.5/2017- Union territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 714(E), dated the 28th June, 2017 and last amended *vide* notification No. 29/2017- Union territory Tax (Rate) dated 22nd September, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1197(E), dated the 22nd September, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2017

सं. 45/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर(दर)

सा.का.नि.1401(अ).— संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(2017का 14) (इस अधिसूचना में एतश्मिन पश्चात जिसे "उक्त अधिनियम" से संदर्भित किया गया है) की धारा 8 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए की ऐसा करना जनहित में आवश्यक है तथा परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एततद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत उन पर लगाए गए संघ राज्यक्षेत्र कर से उस हद तक छूट देती है जिस हद तक वह उक्त सारणी के कॉलम (2) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि मे निर्दिष्ट संस्थानों को आपूर्ति किए जाने पर 2.5 प्रतिशत की दर से संगणित राशि से अधिक होते हैं बशर्ते की उक्त सारणी के कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी होती हों-